

FORM NO. III


फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
प्रेमाराम पुत्र देवबक्ष जाति बागरिया
सा. खाखड़की तह. नावां

बमुकाम : नावां जिला नागौर राजस्थान
ईशवरराम पुत्र देवबक्ष जाति बागरिया वगै.
सा. खाखड़की तह. नावां

किस्म मुकदमा : 188 आर.टी. एक्ट

मुकदमा नम्बर 199/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुआ
16.08.2022	<p>वादी की ओर से अधिवक्ता श्री देवीसिंह सोलंकी यह वाद पत्र पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनांक 19.09.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(ब्रह्मलाल जाट) उपखण्ड अधिकारी, नावां</p>	
19/9/22	<p>अधिवक्ता वादी उपर। तामील/अदम तामील सम्मन प्राप्त नहीं हुआ। होकर पत्रावली दि. 6/10/22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(ब्रह्मलाल जाट)</p>	
6/10/22	<p>अधिवक्ता वादी उपर। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से अध. श्री आनंदीलाल कुशावत के जवाब दावा पेश किया जिसकी मुकाम अध. वादी को दिमाई गई। पत्रावली वल्ले प्रमाण तलबी दि. 13/10/22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(ब्रह्मलाल जाट)</p>	
13/10/22	<p>अधिवक्ता वादी/प्रतिवादी उपर। तकापा की तलबी पेश करने हेतु दिवापन की गई। मि. दि. 31/11/22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(ब्रह्मलाल जाट)</p>	
31/11/22	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वार अध्यक्ष के द्वारा आज कार्य का स्थगन रखा है। पत्रावली दि. 31/11/22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(ब्रह्मलाल जाट)</p>	

